उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग

प0संख्या–I/04(8)/04/2022TC (E-38574)

देहरादूनः दिनांक 18 सितम्बर, 2022

विधीक्षित VETTED सचिव, विधायी Secretary, Legislative 18.09.2023.

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–203/I/04(8)/04/2022 (E-38574), दिनांक 08 फरवरी, 2023 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्रस्तर की सीमा तक प्रतिस्थापित/संशोधित किये जाने जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान प्रस्तर	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
प्रस्तर 2(क) में संशोधन	**जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हेतु लिये जाने वाला शुल्क**	**जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हेतु लिये जाने वाला शुल्क**
	2(क) (i) उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व आवंटित परियोजनाओं हेतु बढी हुई क्षमता पर रु0 1.00 लाख प्रति मेगावाट शुल्क लिया जायेगा। (ii) उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात आवंटित परियोजनाओं हेतु परियोजना आवंटन के समय विकासकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रति मे0वा0 अपफ्रन्ट प्रीमियम के अनुसार बढी हुई क्षमता पर शुल्क लिया जायेगा। उपरोक्त प्रावधान केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होंगे जिनकी क्षमता वृद्धि इस अधिसूचना के बाद	**2(क)** उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व एवं गठन के उपरांत आवंटित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बढ़ी हुई क्षमता पर रू 1.00 लाख प्रति मेगावॉट शुल्क लिया जायेगा। उपरोक्त प्रावधान केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगा जिनकी क्षमता वृद्धि इस अधिसूचना के बाद स्वीकृत की जायेगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जहां संशोधित क्षमता पहले से स्वीकृत की जा चुकी हैं।

8

स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जहां संशोधित क्षमता पहले से स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—</u>

1. सचिव, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली—110001।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्र0), उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0/पिटकुल/उपाकालि, देहरादून।
8. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
9. निदेशक, ऊर्जा सैल, देहरादून।
10. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 मैखुरी)
अनुसचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.04(8)/4/2022-TC Dated 18/09/2023 for general information.

विधीक्षित
VETTED
सचिव विधायी
Secretary, Legislative
18.09.2023

Government of Uttarakhand
Energy and Alternative Energy Department
Letter No-I/04(8)/04/2022TC(E-38574)
Dehradun: Dated 18 September, 2023

<u>Notification</u>

In exercise of the powers conferred under article 162 of the Constitution of India,the Governor, is pleased to substitute/amend the existing paragraph of Notification no. 203/I/04(8)/04/2022 (E-38574) dated 08.02.2023 of Energy and Alternative Energy Department, Government of Uttarakhand given in Column-1 below, to such extent given in paragraph of Column-2:-

	Column-1	**Column-2**
	Existing paragraph	**Paragraph hereby substituted**
Amendment in paragraph 2(A)	**Capacity Enhancement Charges for Hydro Power Projects**	**Capacity Enhancement Charges for Hydro Power Projects**
	2(A) (i) For the Projects allotted prior to formation of Uttarakhand State, the capacity enhancement charges shall be Rs. 1.00 lakh per MW for the Enhanced Capacity.	2(A) For the hydro projects allotted prior to formation of Uttarakhand State and after formation of Uttarakhand State, the capacity enhancement charges shall be Rs. 1.00 lakh per MW for the Enhanced Capacity.
	(ii) For the Projects allotted after formation of Uttarakhand State,	The above provision will be applicable to only those projects where enhancement of capacity

the capacity enhancement charges shall be according to per MW upfront premium paid by the project developer at the time of allotment of the project. The above provision will be applicable to only those projects where enhancement of capacity will be approved after this notification. Further, the above provision shall not be applicable to the projects where the revised capacity has already been approved.	will be approved after this notification. Further, the above provision shall not be applicable to the projects where the revised capacity has already been approved.

(R. Meenakshi Sundaram)
Secretary

<u>Copy to concerned for the information and necessary action please:-</u>

1. Secretary, Ministry of Power,GoI, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, GoI, New Delhi.
3. Secretary, CERC, 3rd& 4th floor, Chandrlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110001.
4. Chief Secretary, GoUK, Dehradun.
5. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Secretary (I/c),GoUK.
6. Commissioner, Garhwal Mandal, Pauri/Kumaon Mandal, Nainital.
7. All Districts Magistrate, Uttarakhand.
8. Secretary, UERC, Dehradun.

9. Chairman/Managing Director, UJVNL/PTCUL/UPCL Dehradun.
10. Director, UREDA, Dehradun.
11. Director, Energy Cell, Dehradun.
12. Incharge, NIC, Secretariat Administration, Dehradunwith intention toupload the said notification on the officialwebsite.
13. Additional Director, Printing and Stationary Department, Roorkee, Haridwar, sent with a request that while publishing the said notification in extraordinarygazette,make150 copies available to this Section.
14. Guard File.

By order,

(J.P. Makhuri)
Under Secretary